# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीडवाना (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबूलाल जाट (R.A.S.)
राजस्व प्रार्थना–पत्र सं. 96/2015

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

प्रार्थीया

1- बिरमादेवी पुत्री जोराराम पत्नि पन्नाराम जाति जाट आयु 54 वर्ष निवासी थेबड़ी हाल निवासी जूसरी तहसील मकराना जिला नागौर राजस्थान

बनाम

अप्रार्थीगण

1- जोराराम पुत्र बालूराम आयु 80 वर्ष
2- लक्ष्मणराम पुत्र किसनाराम आयु 40 वर्ष
3- चतराराम पुत्र किसनाराम आयु 52 वर्ष जाति जाट निवासी थेबड़ी तह. डीडवाना
4- निजू पुत्री किसनाराम पत्नि नेमाराम
5- जसू पुत्री किसनाराम पत्नि उगराज जाति जाट नि. थेबड़ी तह. डीडवाना हाल निवासी मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
6- प्रबन्धक, जयपुर थार ग्रामीण बैंक तोषीणा
7- तहसीलदार डीडवाना

प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित – श्री हाकम अली खान प्रार्थी की ओर से।
श्री आर.के. माथुर अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 03/09/2019

प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने एक राजस्व वाद दावा बाबत घोषणा खातेदारी बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा काा सुदृढ़ आधार पर अदालत में प्रस्तुत कर रखा है जो जैरतजबीज है, जिसमे प्रार्थीया को शत प्रतिशत सफलता मिलने की उम्मीद है, प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण सं. 1 से 5 एक ही पूर्वज बालूराम की सन्ताने व उत्तराधिकारीगण है जो अलग अलग रहते है और अलग अलग कमाते खाते है जिनका सजरा खानदान निम्नवत है :–

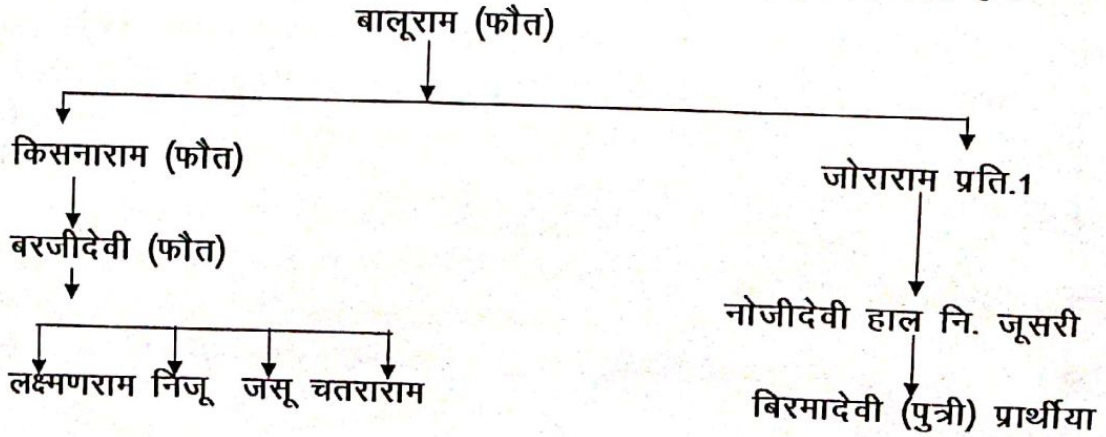


.....2.....

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थीया व अप्रार्थीगण सं. 1 से 5 की पैतृक कब्जाकाश्त व खातेदारी की भूमि वर्तमान खेत खसरा नम्बर 183 रका 24 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 231 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 239 रकबा 23 बीघा 19 बिस्वा व खसरा नम्बर 272 रकबा 85 बीघा 09 बिस्वा कुल रकबा 149 बीघा वाके ग्राम थेबड़ी तहसील डीडवाना जिसके वर्तमान खातेदारी इन्द्राजात जरिये उत्तराधिकार 1/2 भाग जोराराम के नाम से अंकित है, प्रार्थीया अप्रार्थी सं.1 की जायन्दा पुत्री है अप्रार्थी 2 ता 5 स्व. किसनाराम पुत्र बालूराम के पुत्र पुत्रिया है, किसनाराम का लगभग 5–6 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो गया है अप्रार्थी जोराराम के एक मात्र प्रार्थीया ही पुत्री है अन्य कोई सन्तान नही है प्रार्थीया यद्यपि शादीशुदा है मगर व समय समय पर मायके आती जाती रहती है व पैतृक कब्जा काश्त व खातेदारी की सार सम्भाल करती कराती रही है, जोराराम का 1/2 हिस्सा तथा किसनाराम का 1/2 हिस्सा दर्ज रहा है किसनाराम के फौत होने पर का नामान्तरकरण अभी नही भरा गया है, प्रार्थीया के बाबा किसनाराम फौत होने के बाद अप्रार्थी 2 ता 3 ने प्रार्थीया के पिता जोराराम को अपने प्रभाव में ले रखा है वे जोराराम के नाम अंकित 1/2 भाग की भूमि को हड़पने की नियत रखते है अप्रार्थी सं. 1 ता 2 ने प्रार्थीया की माता नोजादेवी को लड़ झगड़ कर घर से निकाल दिया है जो प्रार्थीया के पास ग्राम जूसरी में रह रही है अप्रार्थी 1 ता 3 प्रार्थीया को पैतृक कब्जाकाश्त की उपरोक्त भूमि के 1/4 भाग से महरूम रखना चाहते है, प्रार्थीया जोराराम की भूमि में अपना 1/4 हिस्सा अपने नाम घोषित करवाने की अधिकारिणी है, प्रार्थीया अपने हिस्से की भूमि का बंटवारा कराना चाहती है, अप्रार्थी सं. 2 ता 3 ने प्रार्थीया को ऐलानिया धमकी दी है कि जोराराम के नाम दर्ज भूमि अन्यत्र बेचान करवाके रहेगे, जिससे कई प्रकार की मुकदमेबाजी बढ़ेगी, दौराने वाद ताफैसला के अप्रार्थीगण को पैतृक कब्जा काश्त व खातदारी के उपरोक्त खसरान में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी हस्तक्षेप व हस्तानान्रकरण करने कराने से रोका जाना अति आवश्यक है इसके लिए तुलनात्मक भार सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में है, प्रार्थीया की इस्तदुआ है कि उपरोक्त खसरान में अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम थेबड़ी तहसील डीडवाना के खसरा नम्बर 183 231 239 272 मे प्रार्थी के हिस्से एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी हस्तानान्तरण नही करे तथा राजस्व रिकार्ड में फेरबदल न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी एजेन्ट इत्यादि से करावे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 से 3, 6 एवं 7 बावजूद इतला अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दौराने सुनवाई अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार माथुर उपस्थित आये तथा

.....3.....

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल उपलब्ध है। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी नकल सम्वत 2069–2072 प्रार्थीया की ओर से एवं बेचान दस्तावेज की प्रतिया एवं जमाबन्दी नकल अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत हुई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थीया को प्रार्थना–पत्र पेश करने का कोई विधिक अधिकार ही प्राप्त नही है, अप्रार्थी सं.1 जोराराम की पत्नि नोजी भी मौजूद है जिसे प्रकरण मे पक्षकार नही बनाया गया है इसके अभाव में म प्रार्थीनी का प्रार्थना–पत्र प्रथम दृष्टया पोषणीय नही है, वादग्रस्त भूमि का दिनॉक 08.07.2019 को जोराराम द्वारा बेचान कर दिया है जिसको चतराराम एवं लिछमणराम ने जरिये बेचान दस्तावेज 08.07.2019 को क्रय किया है। विशेष कथन में अप्रार्थीगण ने कथन किय है कि प्रार्थीया का दावा दिनॉक 07.06.2017 को खारिज किया जा चुका था तथा इसी दिन स्थगन आदेश भी खारिज किया जा चुका था इसके पश्चात दिनॉक 08.07.2019 को अप्रार्थी जोराराम द्वारा अपने सम्पूर्ण हिस्से का बेचान चतराराम लक्षमणराम को किया है तथा उसी दिन भौतिक रूप से कब्जा सम्मला दिया , प्रार्थीया का किसी प्रकार का कब्जा काश्त नही है अतः प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे।

जमाबन्दी नकल सम्वत 2069–2072 ग्राम थेबड़ी तहसील डीडवाना के खसरा नम्बर 183 231 239 272 कुल रकबा 149 बीघा में किसनाराम 1/2 जोराराम 1/2 पि. बालूराम कौम जाट सा. देह खातेदार राहिन जोराराम का हिस्सा ज.थार ग्रामीण बैंक तोषीणा मूर्तहीन दर्ज है। चालू जमाबन्दी मे किसनाराम 1/2 जोराराम 1/2 पि. बालूराम कौम जाट सा. देह खातेदार राहिन जोराराम का हिस्सा ज.थार ग्रामीण बैंक तोषीणा मूर्तहीन नामा. सं.771 दिनॉक 21.05.2018 विरासत के द्वारा किसनाराम पि. बालूराम के स्थान पर चतराराम लक्ष्मणराम पि. किसनाराम केशर जसूदेवी पुत्रिया किसनाराम का अंकन स्वीकृत हुआ, नामा. सं. 829 दिनाक 26.07.2019 रहनमुक्त जोराराम का हिस्सा रहनमुक्त हुआ शेष खाता बदस्तूर, नामा. सं. 830 विक्रय दिनॉक 22.07.2019 की स्वीकृति से जोराराम पि. बालूराम हिस्सा 1/2 मे से बेचान करेन पर लक्ष्मणराम पुत्र किसनाराम हि.1/4 जोराराम पुत्र बालूराम 1/4 का अंकन स्वीकृत, नामा.सं.831 विक्रय दिनॉक 22.07. 2019 की स्वीकृति से जोराराम पुत्र बालूराम हिस्सा 1/4 सम्पूर्ण बेचान करने से चतराराम पुत्र किसनाराम हि. 1/4 का अंकन स्वीकृत शेष खाता बदस्तूर दर्ज है। बेचान दस्तावेज अनुसार जोराराम द्वारा दिनॉक 08.07.2019 को दो विक्रय पत्र उप पंजीयक छोटी खाटू तहसील डीडवाना में चतराराम एवं किशनाराम मे पक्ष में पजिबद्व कराये है।

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई, दोनो ने अपनी अपनी इस्तदुआ अनुसार कथन दौहराये। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में

.....4.....

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

10.07.2015 को प्रस्तुत होकर प्रार्थीया के पक्ष में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थीगण को पांबद किया गया था, दिनॉक 07.06.2017 को न्याय आपके द्वार केम्प ग्रा.प.आकोदा में राजस्व वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र खारिज हुये, जिसकी अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी नागौर के यहॉ प्रार्थीया द्वारा की जाने पर प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दिनॉक 23.06.2017 को आदेश पारित कर इस न्यायालय के आदेश दिनॉक 07.06.2017 को अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः दोनो पक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर देकर निर्णय पारित करने के लिये ओदश दिया गया। प्रार्थीया के अधिवक्ता द्वारा दिनॉक 10.07.2017 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रकरण पुनः दिनॉक 10.07.2017 को दर्ज किया जाकर सुंनवाई हेतु रखा गया, अप्रार्थीगण द्वारा दिनॉक 30.08.2019 को जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया एवं अप्राथ्रीगण की पैतृक भूमि है जिसमे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में वर्णित प्रावधानो मुताबित पिता/दादा की सम्पति में पुत्री/पोत्री एवं पुत्र/पोत्र का हक हिस्सा निर्धारित है, प्रार्थीया के पिता/दादा की सम्पति पैतृक होने के नाते ही उन्होने वर्ष 2015 में अपना हक हिस्सा पृथक किये जाने हेतु वाद इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण की बदनियती का समझते हुए ही वाद एव स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये गये थे, प्रार्थीया के वाद एवं प्रार्थना–पत्र में दिनॉक 20.07.2017 तारीख पेशी पूर्व से नियत थी, परन्तु न्याय आपके द्वार अभियान में गलत रूप से प्रार्थना–पत्र एवं वाद खारिज हुआ, जिसकी अपनी सक्षम न्यायालय में किये जाने पर न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र मंजूर कर पुनः सुनवाई के आदेश दिये, इससे स्पष्ट है कि प्रकरण पुनः दर्ज होने के पश्चात भी अप्रार्थी सं.2 एवं 3 ने अपने काका से उनका हिस्सा गलत रूप से जरिये बेचान दस्तावेज क्रय किया, वक्त बेचान जोराराम का हिस्सा बैंक के मूर्तहीन रहा है जिसका अंकन भी बेचान दस्तावेज मे नही किया गया है, नामान्तरकरण भी रहनमुक्त का दिनॉक 26.07.2019 को हुआ है जबकि बेचान का नामान्तरकरण दिनॉक 22.07.2019 को स्वीकृत हुआ है जिससे स्पष्ट है कि पहले से ही अप्रार्थीगण सं.1 एवं 2 ने अन्य व्यक्तियो से मिलकर प्रार्थीया को नुकसान पहुंचाने की नियम से जोराराम से गलत रूप से बेचान अपने पक्ष में करवाया है जबकि उसकी पत्नि एवं पुत्री का भी उसमें आज दिन हक हिस्सा है तथा मौके पर कब्जा काश्त होने के तथ्य अंकित है, दौराने वाद यदि न्यायालय की बिना अनुमति ऐसे किसी भूमि का बेचान इत्यादि किया जाता है तो वह शून्य करार दिये जाने योग्य है, अप्रार्थीगण ने दौरान वाद एवं प्रकरण के विचाराधीन होने की जानकारी के बावजूद ऐसा कृत्य किया है, जिससे प्रार्थीया को हानि होने की सम्भावना है, इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में साबित है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया साबित होने से निम्न प्रकार आदेश दिये जाते है।

.....5.....

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

## ओदश

अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला वाद पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम थेबड़ी तहसील डीडवाना के खसरा नम्बर 183, 231, 239, 272 कुल रकबा 149 बीघा में प्रार्थीया की पैतृक खातेदारी व कब्जा काश्त एवं हक हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखल अंदाजी, हस्तक्षेप न तो स्वयं करे तथा नही अपने एजेन्टो से करावे, तथा मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे, उप पंजीयक छोटी खादू/डीडवाना उपरोक्त भूमि में प्रस्तुत होने वाले किसी भी प्रकार के दस्तावेज का पंजियन स्वीकार नही करे तथा तहसीलदार डीडवाना एवं उपतहसीलदार छोटी खादू एवं पटवारी हल्का थेबड़ी राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना–पत्र मूल पत्रावली के संलग्न रहे।

आदेश आज दिनॉक 03/09/2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner